150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

BHIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

क्रमांक :प.14(58)(1)**RSSB**/अर्थना/कृषि/कृ.पर्य./पात्रता जांच/2018/755 दिनांक : 28.7.2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

बोर्ड द्वारा कृषि विभाग के लिये कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती–2018 में कार्य ग्रहण नहीं करने वालों के स्थान पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में विशेष योग्यजन श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। इनकी पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन दिनांक **29.07.2021** को **राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर** पर करवाया जायेगा। निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन (दो प्रतियों में) एवं मूल दस्तावेजों के साथ बोर्ड कार्यालय में उपरोक्त दिनांक को उपस्थित होवें।

गैर अनुसूचित क्षेत्र (रोल नम्बर)

205531 213759

पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावें :–

1. विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर “अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश” एवं कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती–2018 के लिये दिनांक 25.05.2018 को जारी विज्ञप्ति का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले।
2. विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में अलग–अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नही की जायेगी।
3. शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी **मूल प्रमाण–पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वंय का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लावें।**
4. विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्रो एवं दस्तावेजों की स्वंय द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिये आवश्यक निर्देश एवं विस्तृत आवेदन का प्रारूप मय प्रपत्रों के बोर्ड की बेवसाइटwww.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
6. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा उन्होंनें परीक्षा शुल्क रूपये 250/– ही जमा करवाये है, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर आवें।
7. **कोरोना (COVID-19) महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोरोना (COVID-19) जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित होवे।**

(पुष्कर राज शर्मा)
सचिव